

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक  
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,  
शेखपुरा, पटना-14।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 24.02.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राजेन्द्र प्रसाद सिंह पिता-स्व. रामबीर सिंह ग्राम-सिरसा बली पो०-सराय बक्स थाना-भेल्दी जिला-सारण सी.आरनं०-3615/15	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	राधा देवी पति-विद्या राम ग्राम-पो०-लौव थाना-तरैया जिला-सारण सी.आरनं०-158709/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	बिलकेश खातुन पति-अब्दुल सलाम ग्राम-सबनपुर पो०-माधेपुर थाना-बलिया बेलौन जिला कटिहार सी.आरनं०-155200/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	उषा गुप्ता पति-राजेश कुमार ग्राम-गोल बाजार पो०-जिला-बक्सर थाना-मोडल सी.आरनं०-12238/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

31/11/17  
31/11/17

5	विनोद मंडल पिता-स्व. वासुदेव मंडल ग्राम-आनन्द नगर नया टोला पो0-खुशकीबाद थाना-सदर जिला-पूर्णिया पंजी0-ओ.पीडी / 007021 / 15	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000 / -(चालीस हजार) स्वीकृत।
6	गुलाम हैदर पिता-शहाबुद्दीन ग्राम-मोहम्मदपुर काफ टोला पो0-सुरजापुर थाना-जिला-किशनगंज सी.आरनं0-14852 / 16	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
7	गणेश प्रसाद पिता-स्व. नगीना प्रसाद ग्राम-बंजारीपथ सरैया वार्ड नं0-13, पो0+थाना+जिला-गोपालगंज सी.आरनं0-161676 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
8	रेमन्ती देवी पति-प्रकाश साव ग्राम-पो0-उतलीबारा थाना-टनकुप्पा ओ.पी. जिला-गया सी.आरनं0-162212 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
9	शिवचरण राम पिता-फतुरी राम ग्राम-मदनपुर टोले सुन्दरगामा पो0-मदनपुर थाना परसौनी जिला-सीतामढ़ी सी.आरनं0-8356 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
10	राजदेव सहनी पिता-स्व. धनिक सहनी ग्राम-हैवतपुर पो0-कोरीया थाना-मुफसिल जिला-बेगुसराय सी.आरनं0-12673 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
11	शबाना खातुन पति-मो0 बहाउद्दीन ग्राम-मधुबन गोट पो0-मधुबन थाना-बाजपट्टी जिला-सीतामढ़ी सी.आरनं0-91711 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।

12	अब्दुल रकीब पिता-मजहर हुसैन ग्राम+पो0-चन्दन वारा थाना-ढाका पी.एस0 जिला-पूर्वी चम्पारण सी.आरनं0-56 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
13	मीना देवी पति-निर्मल शर्मा ग्राम+पो0-सीमरबनी थाना-भरगामा जिला-अररिया सी.आरनं0-15462 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
14	सोबीन्द पासवान पिता-सुशील पासवान ग्राम-परानपुर परडीया पो0-महरोड थाना-दिनार जिला-रोहतास सी.आरनं0-134837 / 15	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
15	सुनीता देवी पति-मनोज यादव ग्राम-मुसहरनीया पो0-भुरा थाना-त्रीवेणीगंज जिला-सुपौल सी.आरनं0-89117 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
16	कृष्णा कुमार पिता-नवीन कुमार मंडल ग्राम-कल्याण टोला पो0-बिन्दा दियारा थाना-बरीयारपुर जिला-मुंगेर सी.आरनं0-135797 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
17	अनिल कुमार पिता-सिधेश्वर चौहान ग्राम-गोपालपुर पो0-रामनाथपुर थाना-सरमेरा जिला-नालंदा सी.आरनं0-8763 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
18	प्रिंस राज पिता-अशोक कुमार ग्राम-महादेव बीगहा पो0-जामनगंज थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद सी.आरनं0-137490 / 15	किडनी रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।

3/11/18  
3/3/18

19	सिद्धनाथ प्रसाद गुप्ता पिता-स्व. मुंशी साव ग्राम-महमदपुर पो0-थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद सी.आरनं0-8878 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
20	सहोदरा देवी पति-शिव कोमल सिंह ग्राम-कुईयां पो0-एकौना थाना-बड़हरा, जिला-भोजपुर सी.आरनं0-2817 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
21	मीना देवी पति-कृष्णा ठाकुर ग्राम-खोजौली पो0-पोड़ी थाना-डेरनी जिला-सारण सी.आरनं0-156251 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
22	राम बाबु चौधरी पिता-स्व. मोती चौधरी मोहल्ला-कुर्जी पो0-सदाकत आश्रम थाना-दीघा जिला-पटना सी.आरनं0-15913 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
23	बाबु लाल राजवंशी पिता-स्व. पारो राजवंशी ग्राम-हांडीया टोला राजीवनगर पो0-थाना-नारदीगंज जिला-नवादा सी.आरनं0-155422 / 15	हृदय रोग	₹ 1,25,000 / -(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
24	कृष्णा सिंह पिता-स्व. जंगी सिंह ग्राम-जयप्रकाश नगर पो0-कोल्हुआ पैगम्बरपुर थाना-अहियापुर जिला-मुजफ्फरपुर सी.आरनं0-6408 / 15	हृदय रोग	₹ 1,25,000 / -(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
25	भैरव महतो पिता-स्व. मुखल महतो ग्राम-पो0-पश्चिमी हडसर थाना-दरौंदा जिला-सीवान सी.आरनं0-14534 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
			₹ 16,45,000 / -

31/11/16  
7/3/16

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 16,45,000/- (सोलह लाख पैंतालीस हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509249 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 503 2011 9556 खाता धारक का नाम- "निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं० शेखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं० मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नही किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नही किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509249 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 346 (14)

पटना, दिनांक - 10-3-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21/3/16

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,  
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 24.2.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अरविन्द मोची पिता-ललन मोची ग्राम-वादीपुर पो०-चिरौरा, थाना-नौबतपुर जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	देवेन्द्र यादव पिता-स्व. देवेन्द्र गोप ग्राम+पो०-नीरपुर थाना+जिला-नालंदा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	अरुण नारायण पिता-रघुवंश नारायण दास ग्राम-सीपाराडीह पो०-ढेलवा, थाना-बेउर जिला-पटना	घुटना रोग	₹ 35,000/- (पैंतीस हजार) स्वीकृत।
4	दिलिप सिंह पिता-स्व. प्रदीप सिंह ग्राम-कल्पाखुर्द पो०-कल्पा थाना+जिला-जहानाबाद	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
5	शिवम कुमार पिता-गौतम पाण्डेय ग्राम-सहोरा पो०-उसफा, थाना-गौरीचक जिला-पटना	कोकलीयर	₹ 5,80,000/- (पांच लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 8,15,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 8,15,000/- (आठ लाख पन्द्रह हजार) मात्र का क्रास चेक सं०.....

509202 मूल रूप में संलग्न है।

21/11/13  
21/3/14

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन


ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 348 (N)

पटना, दिनांक - 10-3-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को/  
आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.1.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक  
फोर्ड हॉस्पिटल, एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०  
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 24.2.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मुकेश कुमार पिता-श्री बिजीन्द्र प्रसाद ग्राम-चन्द्र बीगहा पो०-मोहीउद्दीनपुर थाना-चीकसौरा जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
2	साधु शरण प्रसाद पिता-देवेन्द्र प्रसाद ग्राम-सर्वोदय नगर पो०-मघड़ा थाना-द्वीप नगर जिला-नालंदा	सी.भी०ए० कोमा रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	निक्की कुमारी पिता-आनन्दी प्रसाद ग्राम-पुरनकामा पो०-थाना+जिला-शेखपुरा	हड्डी एवं नस रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	सत्येन्द्र कुमार पिता-महेश प्रसाद ग्राम-पो०+थाना-कतरीसराय जिला-नालंदा	स्पाइनल सर्जरी रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
5	सरस्वती देवी पति-सीता राम ग्राम-हबीवलीपुर पो०-मोदनगंज थाना-घोषी जिला-जहानाबाद	स्पाइनल सर्जरी रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

३१/४/१३  
३१/३/१०



6	मीना देवी पति-नरेश पासवान ग्राम-बरवता पो0-रामपुर रामहर थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।
7	ललीता देवी पति-राम बाबु महतो ग्राम-कुसमारी पो0-खरसान थाना-रीगा जिला-सीतामढ़ी	मुत्र एवं गुर्दा रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
8	ललन पोद्दार पिता-ब्रज किशोर पोद्दार ग्राम-जालीम बाबु टोला पो0+थाना-मानसी जिला-खगड़िया	मुत्र रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
9	बिन्देश्वरी प्रसाद पिता-राजेश्वर प्रसाद ग्राम-सिविल लाईन फजलगंज पो0-थाना-सासाराम जिला-रोहतास	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
10	राम शकल राय पिता-स्व. राम उचित राय ग्राम-पो0-खेसराही थाना-पातेपुर जिला-वैशाली	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
11	मीरा देवी पति-अर्जुन सिंह ग्राम+पो0-करहटीया बुजुर्ग थाना-गोरौल जिला वैशाली	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।
12	शिवजी पंडित पिता-स्व. रामस्वरूप पंडित ग्राम-मोहनपुर पो0+थाना गोरौल जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
13	हारो प्रसाद पिता-स्व. गुलाब महतो ग्राम-भैंसासुर पो0-बिहारशरीफ थाना-लहेरी, जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

श्री १५/१२  
१३/१०

14	राम विजय सिंह पिता-स्व. गौरी शंकर सिंह ग्राम-पूर्वी लक्ष्मी नगर खेमनीचक, पो0-न्यु जगनपुरा थाना-रामकृष्ण नगर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
15	मिथलेश सिंह पिता-स्व. आनन्दी सिंह ग्राम-जमुनापुर पो0-अलावलपुर थाना-गौरीचक, जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
16	रामावती देवी पति-स्व0 कमलेश गिरि ग्राम-किदवईपुर पी.एनटी कालोनी, पो0-जी0पी0ओ0, थाना-बुद्धा कालोनी जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 16,88,000 /

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 16,88,000 / ( सोलह लाख अठासी हजार ) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 509238 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

*वे।म।/13*  
*7/3/11*

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा0 आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन )

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...509238...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन )

ज्ञापांक - 347 (14)

पटना, दिनांक - 10-3-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन )  
21.3.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 24.2.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र०सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	प्रसादी साह पिता-स्व. बिरंची साह ग्राम-पो०-विजय नगर थाना+जिला-बांका	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	ममता देवी पति-पवन कुमार ग्राम-पो०-बड़डोपुर थाना-पंडारक जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	शबाना हुसैन पति-स्व. ऐनामुर रब ग्राम-शीशमहल कालोनी पठान टोली, पो०-गुलजारबाग थाना आलमगंज जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	कृष्ण नन्दन सिंह पिता-स्व. राम लखन सिंह ग्राम+पो०-खम्हार थाना-मुफसिल जिला-बेगूसराय	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
5	मुरलीधर यादव पिता-स्व. चक्रधर यादव ग्राम-उसरी पो०+थाना-गोगरी जिला-खगड़िया	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
6	डोमन राम पिता-रामचन्द्र प्रसाद पो०-गढ़पर पो०+थाना-बिहारशरीफ जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹० 7,25,000/-

20/11/16  
7/3/16

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,25,000/- ( सात लाख पच्चीस हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509233 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509233 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

356 (14)

पटना, दिनांक - 10-3-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.1.16

सं० सं०- 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
एस.एस. हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,  
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 24.2.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मीरा देवी पति-श्री राधे श्याम चौधरी ग्राम-दीदारगंज मल्लाह टोली पो०-कटरा बाजार समिति थाना-दीदारगंज जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
2	कमल महतो पिता-बालेश्वर महतो ग्राम-पो०-बी० अलोथ थाना-मुसरीघरारी जिला-समस्तीपुर	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,20,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,20,000 /-( एक लाख बीस हजार ) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509263 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।

श्री 11/11/16  
9/3/16

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा0 आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...809263...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 344 (14)

पटना, दिनांक -10-3-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/11/16  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
शान्त

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 24.2.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मो० नजरुद्दीन पिता-स्व. जफरुद्दीन ग्राम-एकसारी पो०-मनीन्डा थाना+जिला-शेखपुरा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	पिंकी देवी पति-विनय कुमार प्रसाद ग्राम-फतेहपुर पो०-विशुनपुरा थाना-दरौदा, जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
3	पुजा कुमारी पिता-भगवान यादव ग्राम-मुकुन्दपुर पो०-नया भोजपुर थाना-सिमरी जिला-बक्सर	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
4	निलोफर पति-मो० अब्दुल ग्राम-मिलीक टोला, बैरीया पो०-खोकसा थाना-बायसी जिला-पूर्णिया	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
5	अफसाना खातुन पति-नुरैन आलम ग्राम-कोहड़ा पो०-भवानीपुर, थाना-श्रीनगर जिला-प० चम्पारण	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।

आ.प्र.  
१/३/१६



6	कनक देवी पति-अवधेश सिंह ग्राम+पो0-पिरौना थाना-गरखा जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
7	मो0 मुस्तफा पिता-स्व. मो0 युनुस ग्राम+पो0+थाना-बीहटा जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
8	बसंत नारायण सिंह पिता-स्व. हरि नारायण सिंह ग्राम-सिंधारा पूर्वी टोला पो0-सिंधारा थाना-महुआ, जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
			₹ 6,55,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,55,000/- ( छः लाख पचपन हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509258 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509258 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

- 351 (14)

पटना, दिनांक -

10-3-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों का/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
211/16-16